भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 2940
वाणिज्य विभाग

दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात के लिए प्रशीतन सुविधा युक्त परिवहन सुविधाएं

2940. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का फलों और सब्जियों की उपयोगिता अवधि में वृद्धि करने के लिए तेलंगाना में एक विकिरण संयंत्र की स्थापना हेतु निधि प्रदान करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तेलंगाना से दूध, अंडे और सब्जियों जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के निर्यात के लिए शीतागार और प्रशीतन सुविधा युक्त परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन सुविधाओं के कार्यान्वयन के लिए संभावित समय-सीमा क्या है; और

(घ) तेलंगाना को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के व्यापक लक्ष्य के साथ उक्त पहल कितनी समन्वित है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): वाणिज्य विभाग अन्तरालों, यदि कोई हो, को समाप्त करके देश में निर्यात संबंधी अवसंरचना के निर्माण में सहायता करता है, और निर्यात लिंकेजों को सुविधा प्रदान करके निर्यात संबंधी प्रयासों को भी सहयोग प्रदान करता है। तदनुसार, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना नामत: 'निर्यात व्यापार अवसंरचना योजना(टीआईईएस)' के तहत 'हैदराबाद में इरेडीएशन सुविधा केन्द्र की स्थापना' के लिए एक परियोजना प्रस्ताव हेतु सैद्धांतिक रूप से 13.64 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

तेलंगाना चावल का एक प्रमुख निर्यातक है और जीआई बंगनपल्ली आमों पर ध्यान केंद्रीत करने के साथ आम, अनार और कस्टर्ड सेब जैसे ताजे फलों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। तेलंगाना सहित अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्य विभाग के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के माध्यम से अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना में निम्नलिखित घटक हैं:

1. **अवसंरचना विकास योजना** - पैकिंग/ग्रेडिंग लाइनों के साथ पैकहाउस सुविधाओं की स्थापना, शीत भंडारण और प्रशीतन परिवहन आदि के साथ प्री-कूलिंग यूनिट, केले जैसी

फसलों की हैंडलिंग के लिए केबल प्रणाली, इरेडीएशन, वाष्प हीट ट्रिटमेंट, हॉट वाटर डिप ट्रीटमेंट जैसी शिपमेंट पूर्व ट्रीटमेंट सुविधाओं और सामान्य अवसंरचना सुविधाओं, रीफर वैन और निजी निर्यातकों की मौजूदा अवसंरचना में कमी के लिए वित्तीय सहायता।

ii. गुणवत्ता विकास योजना - प्रयोगशाला परीक्षण उपकरणों की खरीद, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, ट्रेसबिलिटी के लिए फार्म स्तरीय निर्देशांको की कैप्चरिंग के लिए हस्तचालित उपकरणों और जल, मिट्टी, अवशेषों और कीटनाशकों आदि के परीक्षण के लिए वित्तीय सहायता।

iii. बाजार संवर्धन योजना- इस सहायता में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकें का आयोजन और नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग मानकों का विकास करना और मौजूदा मानकों का उन्नत शामिल है।

वित्तीय सहायता संबंधी दिशानिर्देशों का विवरण एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in **पर "योजना" टैब के अंतर्गत उपलब्ध है।**

इसके अलावा, भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के माध्यम से एक केंद्रीय क्षेत्र की एक अम्बैला योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत एक घटक - एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन योजना) को लागू कर रही है। कोल्ड चेन योजना के तहत, तेलंगाना राज्य सहित देश भर में खराब होने वाली वस्तुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए इरेडीएशन सुविधा की स्थापना के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग सुविधाएं, कच्चे माल और तैयार उत्पादों के भंडारण और परिवहन के लिए रीफर वैन भी शामिल हैं।

कोई राज्य-वार निधि का आवंटन नहीं है क्योंकि यह योजना मांग प्रेरित है और पूरे देश में पात्र संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। वर्तमान में, तेलंगाना राज्य में एमओएफपीआई द्वारा वित्त पोषित कोई इरेडीएशन परियोजना नहीं है।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई गए सभी उपरोक्त पहलों से तेलंगाना राज्य से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो बदले में तेलंगाना को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य की मदद करने में योगदान देगा ।

******